Fax/Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(स्था0 0101)– 141 / 2017........

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, पं0 चम्पारण (बेतिया), कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, नालन्दा, पटना एवं गया

पटना, दिनांक :

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आम नागरिकों को डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति हेतु आपके जिलान्तर्गत अंचल कार्यालयों में अधिष्ठापित प्लॉटर से नक्शा मुद्रण संबंधित कार्य के लिए स्टेशनरी वस्तुओं के क्रय/मरम्मति हेतु उक्त बजट शीर्ष के अंतर्गत इकाई कोड संख्या **–13 01 – कार्यालय व्यय** मद में संलग्न विवरणी के अनुसार 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एंव त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. अनुलग्नक की क्रम सं0—13 में समाहर्त्ता मधेपुरा को आवंटित 2,00,000/—(दो लाख रूपये) में से सदर अंचल मधेपुरा हेतु 1,00,000/— (एक लाख रूपये) एवं उदाकिशुनगंज हेतु 1,00,000/— (एक लाख रूपये) का आवंटन निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/—
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17—आवंटन(योजना 0101)— 129/2016........ **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :— महालेखाकार, बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17—आवंटन(योजना 0101)— 129/2016........ **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :— कोषागार पदाधिकारी मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, पं0 चम्पारण (बेतिया), कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, मधेपुरा, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा), सुपौल, सहरसा, खगड़िया, नालन्दा, पटना एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17—आवंटन(योजना 0101)— 129/2016........ **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :— प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, कोशी, पटना एवं मगध प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17—आवंटन(योजना 0101)— 129/2016...02 **पटना, दिनांक** 24/5/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :— आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/17

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत इकाई कोड-13 01 विषय शीर्ष- कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन :-

क्र0	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	समाहर्त्ता, मुंगेर	1,00,000=00
2	समाहर्त्ता, भागलपुर	1,00,000=00
3	समाहर्त्ता, दरभंगा	1,00,000=00
4	समाहर्त्ता, पूर्णिया	1,00,000=00
5	समाहर्त्ता, अररिया	1,00,000=00
6	समाहर्त्ता, किशनगंज	1,00,000=00
7	समाहर्त्ता, छपरा (सारण)	1,00,000=00
8	समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर	1,00,000=00
9	समाहर्त्ता, प0 चम्पारण (बेतिया)	1,00,000=00
10	समाहर्त्ता, कटिहार	1,00,000=00
11	समाहर्त्ता, बेगूसराय	1,00,000=00
12	समाहर्त्ता, लखीसराय	1,00,000=00
13	समाहर्त्ता, मधेपुरा	2,00,000=00
14	समाहर्त्ता, सुपौल	1,00,000=00
15	समाहर्त्ता, सहरसा	1,00,000=00
16	समाहर्त्ता, खगड़िया	1,00,000=00
17	समाहर्त्ता, नालन्दा	1,00,000=00
18	समाहर्त्ता, पटना	1,00,000=00
19	समाहर्त्ता, गया	1,00,000=00
	कुल योग :-	**20,00,000=00**

(बीस लाख रूपये मात्र)

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक
भू- अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।